न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा,आई.ए.एस.,

राजस्व विविध वाद सं0 04/2016

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

करतारसिंह पुत्र श्री रतनसिंह राजपूत जरिये आममुख्तार मेघसिंह पुत्र गोपालसिंह निवासी बड़ोडागांव तहसील व जिला जैसलमेर

बनाम

01. अछनकंवर पत्नी श्री उम्मेदसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
02. उम्मेदसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी भवानीपुरा, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955

उपस्थित :–

01. **श्री विपिन व्यास, वकील प्रार्थी**
02. **श्री सत्यनारायण पुरोहित, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2**

निर्णय **दिनांक : 26.12.2016**

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा वाद संख्या 20/2016 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 25/2016 अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के सहायक कलक्टर पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है, जिसमें उक्त वाद विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी है एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री उम्मेदसिंह पोकरण न्यायालय में प्रेक्टिसरत अधिवक्ता है ओर वहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अप्रार्थीगण/वादी की अच्छी जान–पहचान एवं प्रभाव है तथा अप्रार्थी संख्या 2 पूर्व में विधायक चुनाव में प्रत्याशी रह चुका है इस कारण उसका पोकरण में राजनैतिक प्रभाव है एवं अधिवक्ता होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से प्रकरण को प्रभावित कर सकता है। उक्त वाद में सहायक कलक्टर पोकरण से निष्पक्ष न्याय प्राप्ति की उम्मीद नही होने का कथन करते हुवे प्रार्थी ने सहायक कलक्टर,पोकरण के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है । प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थनापत्र के संबंध में सहायक कलक्टर,पोकरण से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी एवं मूल पत्रावली तलब की गई ।

सहायक कलक्टर पोकरण ने प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में प्रतिवेदन किया है कि न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जायेगा उसकी पालना की जावेगी।

उभय पक्षो को सुना गया। उनका आगे तर्क रहा कि प्रार्थनापत्र में उल्लेखित कारणों के आधार पर न्याय हित में प्रश्नगत वाद अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण वांछनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा है कि उनकी भूमि को तरमीम नही होने के उपरान्त भी सहायक कलक्टर पोकरण के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो प्रभावशील है जिसका प्रभाव प्रकरण के निस्तारण किये जाने पर रहेगा।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि पीठासीन अधिकारी का न्यायिक आदेश है, जिसके विरूद्व इस न्यायालय में नही आए है न ही इस न्यायालय को इस बिन्दु पर सुनवाई का अधिकारी है। अपूर्ण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। दावे में सभी पक्षकारान को पक्षकार नही बनाया गया है न ही फारमल पक्षकार बनाया गया है। आरोप प्रमाणित करने का कोई सबूत पेश किया नही किया गया है। वकील होने से किसी पीठासीन अधिकारी पर प्रभाव नही हो जाता है। उनके द्वारा आवेदित स्थानान्तरण के सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन आर आर डब्ल्यू –2016 (1) रेवन्यू पेज 442 एवं आर आर डी 2010 पेज 511 का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा उक्त आधार पर प्रार्थनापत्र खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने खण्डन (Rebuttal) में तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 2 प्रेक्टिसिंग अधिवक्ता है, जिनका पीठासीन अधिकारी से मिलना जुलना रहता है। अतः प्रकरण प्रभावित करने की स्थिति है। उन्होने प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण का पुनःअनुरोध किया ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया संबधित कानून की स्थिति देखी जाकर गंभीरता पूर्वक मनन किया गया । प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी पक्ष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की न्यायपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावित करता हो । इसके अतिरिक्त न्यायालय के तत्कालिन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होकर नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य किया जा रहा है । अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में किसी प्रकार बल नही होने से खारिज योग्य है । अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास में सुनाया गया ।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

E:\reader\court\235 dis.docx